

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07042022-234944 CG-DL-W-07042022-234944

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 27— अप्रैल 2, 2022, शनिवार/ चैत्र 6—चैत्र 12, 1944

No. 12] NEW DELHI, MARCH 27—APRIL 2, 2022, SATURDAY/CHAITRA 6-CHAITRA 12, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय, विशेष सेवा ब्यूरो (आर्डनेंस) सेवा नियम, 1995, को जहां तक उनका संबंध क्षेत्र अधिकारी (आर्मरर) और उप क्षेत्र अधिकारी (आर्मरर) के पदों से है, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल में समूह 'क' और 'ख' (अयोधी) आर्डनेंस काडर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-

1868 GI/2022 (237)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

सा.का.िन. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'घ' पद) नियम, 1992, को, जहां तक कि उसका संबंध पुस्तकालय अटेंडेंट के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट, पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहर्ता, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने
नाम			मैट्रिक्स में	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु-	वाले व्यक्तियों के लिए
			स्तर।		सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और
						अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय	01* (2022)	साधारण	वेतन	लागू नहीं	18 और 25* वर्ष के बीच।	आवश्यक:
परिचर		केन्द्रीय सेवा,	मैट्रिक्स में	होता।	*पद को अखिल भारतीय	

परिवर्तन	के पर	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000- 56,900 रु.)	खुली प्रतियोगिता से भरने की दशा में 18 और 27 वर्ष के बीच होगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
किया सकता है	जा		<i>`.</i> '	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके	(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स।
				चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	टिप्पण :1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
				टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	टिप्पण 2. :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
				टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती। टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थिति के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी- (क) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन
	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश
	किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे.—	लागू नहीं होता।
1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष	
2. उपनिदेशक (महामारी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और	
अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	
3. सहायक निदेशक (शल्य), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और	
अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और	
अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/26/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st March, 2022

- **G.S.R.** 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'D' posts) Recruitment Rules 1992, in so far as it relates to the post of Library Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification, level in pay matrix. The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection
the post				post or non-selection
				post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library	1*(2022)	General Central Service,	Level-1 in the pay matrix	Not applicable.
Attendant.	*subject to	Group 'C',	(Rs.18,000-56,900).	
	variation	Non-Gazetted,		
	dependent on	Non-Ministerial.		
	workload.			
Age- limit	for direct recruits.	Educational qualifications	Whether age and	Period of probation,
		required for direct recruits.	educational qualifications	if any.
			prescribed for direct recruits	
			will apply in the case of	
			promotees.	

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25* years.	Essential:	Not applicable	Two years
	(i) 10th Standard pass		
*In case of post being filled	from a recognised		
up by all-India Open	Board.		
Competition, it would be			
between 18 and 27 years.	(ii) Certificate course in		

(Relaxable for Government servants up to age of forty years for general candidates and up to the age of forty-five in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time.)

The crucial date Note 1: for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Library Science from a recognised institute.

Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case candidates belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection: the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation In case of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods. by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made. (10)(11)Direct recruitment. Not applicable. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding-

an	unalogous posts on regular basis in the Level 1 (Rs.18000-56) d possessing the qualifications prescribed for direct recruits un		
	Departmental Promotion Committee exists, what is its position.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
	(12)		(13)
Dep	artmental Confirmation Committee (for considering con	firmation) consisting of:	Not applicable.
1.	Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Chairman	
2.	Deputy Director (Epidemic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member	
3.	Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member	
4.	Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and		

[F. No. A-12018/26/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

Member.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक कि उनका सम्बन्ध प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में किनष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कनिष्ठ चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

Research Institute, Chengalpattu

- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।
(1) कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्।	(2) 05*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300 रु.)	पद (5) अचयन।	(6) 18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	(7) आवश्यकः 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जिसमें विज्ञान एक विषय रहा हो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का अनुभव। 3. पाठ्यक्रम को सम्बंधित राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वांछनीयः चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री।
					त्रिपुरा, सिक्किम,	

लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अदंमान और निकोबार वेविकानुसार शिथिल की जासकती है। विहित की गई है)। विहित की गई है)। विहित की गई है। विष्ण 2:- अनुभव संबंधी अहँता सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्मायक तारीख वह अंति प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की वह गाय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते के लिए कहा गया है। के प्रयाप संख्या में उपलब्ध होने की				
जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2:- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			हिमाचल प्रदेश के	
के पांगी उपखंड और लहाख संघ राज्य क्षेत्र, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। के लिए कहा गया है।			लाहोल और स्पीति	
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अन्यर्थिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सम्बन्ध से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अर्थाल से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			जिले तथा चम्बा-जिले	टिप्पण 1:-अर्हताएं,
अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। िटप्पण 2:- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। अदंभान और निकोबार विवेकानुसार शिथिल की जा सम्बन्ध में अपूर्णिक की जा सकती है, प्रत्येक किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है, प्रत्येक किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के स्वायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			के पांगी उपखंड और	अन्यथा सुअर्हित
तीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2:- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। जिस पर होने की उनके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उनसमुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र,	
अभ्यर्थियो के लिए विहित की गई है)। हिप्पण 2:- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। अभ्यर्थियों के लिए अप्रित रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। अस्वित रिक्त्यों को जा सकती है। हिप्पण 2:- अनुभव संबंध अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के जा सकती है जब चयन के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अप्रेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			अदंमान और निकोबार	
विहित की गई है)। टिप्पण 2:- अनुभव टिप्पण 2:- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगर कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगर कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। हिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। हिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभ्व जातियों के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			द्वीप या लक्षद्वीप के	
िटप्पण 2:- ऐसे पदों के संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से और अनुसूचित जातियों के आर्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। विके अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			अभ्यर्थियो के लिए	की जा सकती है ।
िटप्पण 2:- ऐसे पदों के संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख वह अंतिम तारीख वह अंतिम तारीख होनी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			विहित की गई है)।	
सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों अंत अनुस्चित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				टिप्पण 2:- अनुभव
सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। विवेकानुसार अनुस्चित जातियों अर अनुस्चित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			टिप्पण 2 :- ऐसे पदों के	
नियुक्ति रोजगार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों की जाती है, प्रत्येक माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। प्रत्येक अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			मानक में चिन पर	
कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यह उपलब्ध होने की				
की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उपलब्ध होने की			~	
भा जाता ह, प्रत्यक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			कार्यालय के माध्यम से	और अनुसूचित
मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख किसी प्रक्रम पर सक्षम वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। प्रभूभ रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			की जाती है, प्रत्येक	
अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख किसी प्रक्रम पर सक्षम वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। कि अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए अपेक्षित के लिए कहा गया है। प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
कायालय स नाम भजन के लिए कहा गया है। अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
के लिए कहा गया है। अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			कार्यालय से नाम भेजने	
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			के लिए कहा गया है।	
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की				
उपलब्ध होने की				
				सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(10) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(11) प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में ऐसे प्रयोगशाला परिचर और पशु परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में सोलह वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अईक या

I	
	के लिए विचार किया जा रहा हो,
	वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध
	में भी विचार किया जाएगा परन्तु
	यह तब जबिक उसके द्वारा की गई
	ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित
	अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से
	अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो
	भी कम हो, कम न हो और उन्होंने
	अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,
	जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा
	पहले ही पूरी कर ली है, अगली
	उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए
	अपनी परिवीक्षा की अवधि
	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि ।	वेभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
	(12)		(13)
समूह	'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें	निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
1.	अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- अध्यक्ष	
2.	विभागध्यक्ष (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
3.	किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के क्षेत्र में		
	कार्यालय से राजपत्रित अधिकारी	– सदस्य;	
4.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	– सदस्य।	
समूह होंगे:-	'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए	ए जिसमें निम्नलिखित	
(1)	सहायक निदेशक (सूक्ष्मजीवविज्ञान) केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- अध्यक्ष	
(2)	सहायक निदेशक (जीव रसायन विज्ञान) केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	– सदस्य	
(3)	ज्येष्ठतम चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	– सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/33/2019-कुष्ठ] शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 2022

- **G.S.R.** 44—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:
- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection
				post or non-
				selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Medical	05*(2022)	General Central	Level-5 in the pay matrix	Non-selection.
Laboratory Technologist.		Service, Group 'C',	(Rs.29200-92300).	
	*Subject to	Non-Gazetted,		
	variation	Non-Ministerial.		
	dependent on			
	workload.			

Age-limit for direct recruits.	Educational and other	Whether age and	Period of
	qualifications required	educational qualifications	probation, if any.
	for direct recruits.	prescribed for direct	
		recruits will apply in the	
		case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years.	Essential:	Not applicable.	Two years for
			direct recruits.

(Relaxable for departmental candidate upto 1. 12th class pass with the age of forty years in the case of general Science subject from candidates and upto forty-five years in the a recognised case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or 2. Diploma pass in orders issued by the Central Government).

Note 1: The crucial date for determining year experience from a the age-limit shall be the closing date for recognised institute. receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for 3. The course should be those in Assam, Meghalaya, Arunachal recognised Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District Directorate of Medical and Pangi Sub- Division of Chamba Education. District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Desirable: Nicobar Islands and Lakshadweep.

Note 2: In respect of posts, appointment to which are made through Science. the employment exchange the crucial date Note 1: Qualifications determining the age-limit shall, in are relaxable each case, be the last date up to which the discretion employment exchange are asked to submit competent authority in the names.

Board.

Medical Laboratory Technology with one

the concerned State

Bachelor Degree in the Medical Laboratory

> at the of the case of candidates otherwise well qualified.

> Note 2: The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for

them.

Method of recruitment whether by direct	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption
	grades from which promotion or deputation/ absorption to be
deputation/absorption and percentage of the	made.
vacancies to be filled by various methods.	
(10)	(11)
By promotion failing which by direct	Promotion:
recruitment.	
	Lab Attendant and Animal Attendant in level-1 in the pay matrix
	(Rs.18000-56900) with sixteen years regular service in the grade.
	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a	Departmental Promotion Committee exists, what is its composit	ion.	Circumstanc	es in	which
			Union P	ublic	Service
			Commission		to be
			consulted	in	making
			recruitment.		
	(12)			(13)	
	up 'C' Departmental Confirmation Committee (for consider	ing confirmation)	Not a	pplicat	ole.
cons	isting of:-				
(1)	Additional Director, Central Leprosy				
(1)	Teaching and Research Institute, Chengalpattu	-Chairman			
	Touching and resourch institute, Chengalpatta	Chairman			
(2)	Head of Department (Laboratory), Central Leprosy				
	Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member			
	, , ,				
(3)	A Gazetted officer from another Central Government or				
	State Government office in the area	- Member			
(4)	Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and				
	Research Institute, Chengalpattu	- Member.			
		4.			
	up 'C' Departmental Promotion Committee (for considering isting of :-	promotion)			
Cons	isting of				
(1)	Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy				
(-)	Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Chairman			
	6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(2)	Assistant Director (Bio-Chemistry), Central Leprosy				
ì	Teaching and ResearchInstitute, Chengalpattu	Member;			
	-				
(3)	Senior most Medical Officer, Central Leprosy Teaching and				
	Research Institute, Chengalpattu	- Member.			

[F. No. A-12018/33/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2022

- सा.का.िन. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उसका संबंध कलाकार के पद से है, उन बातों के सिवाए, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कलाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का	पद की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने
	ा पद पग संख्या	<u> </u>	येतन माट्रक्त में स्तर		<u> </u>	वाले व्यक्तियों के लिए
नाम	संख्या		म स्तर	अथवा	व्यक्तियों के लिए आयु-	अपेक्षित शैक्षिक और
				अचयन पद	सीमा	अन्य अर्हताएं
						जन्म जल्लार
	4-1	(-)	4.3		>	(_)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	01*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	आयु 18 और 25 वर्ष के	1. किसी मान्यता प्राप्त
कलाकार	(2022)	सेवा, समूह 'ग',	में स्तर-5	होता	बीच।	बोर्ड से 12वीं कक्षा
		अराजपत्रित,	(29200 -			उत्तीर्ण।
	*कार्यभार	अननुसचिवीय	92300/ रु.)		केन्द्रीय सरकार द्वारा पर	
	_	अने नुसाचवाय			जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	2. किसी मान्यता प्राप्त
	के आधार				आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	कला तथा शिल्प विद्यालय से कला में
	पर				साधारण अभ्यर्थियों की	ापञ्चालय स कला म डिप्लोमा।
	परिवर्तन				दशा में शिथिल करके	15 ×11111
	किया जा				चालीस वर्ष तक तथा] 3. डिवेल्पिंग तथा
	सकता है।				अनुसूचित जातियों और	्रि. ।डवाल्पग तथा प्रिंटिंग जिसके अंतर्गत
					अनुसूचित जनजातियों के	फोटोग्राफी की भी
					अभ्यर्थियों की दशा में	जानकारी है।
					शिथिल करके पैंतालिस	
					वर्ष तक की जा सकती है।	टिप्पण 1:- अर्हताएं,
						~ .
					टिप्पण 1: - आयु-सीमा	अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					अवधारित करने के लिए	सक्षम प्राधिकारी के
					निर्णायक तारीख	विवेकानुसार शिथिल
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	की जा सकती है।
					करने के लिए नियत की	
					गई अंतिम तारीख होगी न	टिप्पण 2:- अनुभव
					कि वह अंतिम तारीख जो	ाट्य्य ण 2 अनुमय संबंधी अर्हताएं सक्षम
					असम, मेघालय,	। सबबा अहताए सक्षम । प्राधिकारी के
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	विवेकानुसार विवेकानुसार
					ानजारन, नाजपुर, नागालैड़, त्रिपुरा, सिक्किम,	अनुसूचित जातियोँ और
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल	अनुसूचित जनजातियों
					और स्पीति जिले तथा	के अभ्यर्थियों की दशा
					चम्बा जिले के पांगी	में तब शिथिल की जा
					उपखंड, तथा लद्दाख,	सकती हैं जब चयन के
					अंदमान और निकोबार	किसी प्रक्रम पर सक्षम
					द्वीप और लक्षद्वीप संघ	प्राधिकारी की यह राय
					राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों	है कि उनके लिए
					के लिए विहित की गई है।	आरक्षित रिक्तियों को
						भरने के लिए अपेक्षित
					टिप्पण 2 :- रोजगार	अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों
					कार्यालय के माध्यम से की	त्र तुराया क अम्यायया के पर्याप्त संख्या में
					जाने वाली भर्ती की दशा	उपलब्ध होने की
					में आयुसीमा अवधारित	सम्भावना नहीं है।
					करने के लिए निर्णायक	
					तारीख वह अंतिम तारीख	
					होगी जिस तक रोजगार	

		कार्यालय से नाम भेजने के	
		लिए कहा गया है।	

सीधी भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की
वाले व्यक्तियों के लिए	अवधि, यदि	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या
विहित आयु और	कोई हो।	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी	प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
शैक्षिक अर्हताएं		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
प्रोन्नत व्यक्तियों की			
दशा में लागू होंगी या			
नहीं।			
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर	प्रतिनियुक्ति:
	जाने वाले	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	-
	व्यक्तियों के लिए		(क) जो किसी केन्द्रीय सरकारी संस्था में वेतन
	दो वर्ष ।		मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु) में
			नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है
			और जिनके पास स्तंभ (7) में वर्णित अर्हता हो
			तथा उस फील्ड में दो वर्ष का अनुभव हो; या
			(ख) जो किसी केन्द्रीय सरकारी संस्था में वेतन
			मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100रु) मे
			नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं
			और जिनके पास स्तंभ 7 में वर्णित अर्हता हो
			तथा उस फील्ड में छह वर्ष का अनुभव हो।
			टिप्पण-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
			अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
			संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
			धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
			प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष
			से अधिक नहीं होगी।
			टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर स्थानांतरण
			द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा
			आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन
			वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
	संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश
	किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	लागू नहीं होता।
होंगे:-	
1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और	
अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष	

2.	उप-निदेशक (महामारी), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
3.	सहायक निदेशक, (शल्य) केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
4.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य ।	

[फा.सं . ए-12018/28/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2022

- **G.S.R. 45.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Artist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Artist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification, level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	of Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Artist	01*(2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable
Age-limit	for direct recruits.	Educational and other	Whether age and	Period of

	qualifications required for direct recruits.	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Relaxable for Government Servants upto forty years in case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	 1. 12th class pass from a recognised Board. 2. Diploma in Arts from recognised school of arts and crafts. 3. Knowledge of Photography including developing and printing. Note 1: Qualifications can be relaxed at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them. 	Not applicable	Two years for direct recruitment.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment failing which by deputation.	Deputation:
	(a) Holding analogous posts in any Central Government institute on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with the qualification mentioned in the column (7) and two year experience in the field; or
	(b) holding analogous posts in any Central Government institute on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with the qualification mentioned in the column (7) and six year experience in the field.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 2: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a	Departmental Promotion Committee exists, what is its compo	sition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
	(12)		(13)
	up 'C' Departmental Confirmation Committee (for considufirmation) consisting of:	lering	Not applicable.
1.	Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute	- Chairman	
2.	Deputy Director (Epid), Central Leprosy Teaching and Research Institute	- Member	
3.	Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute	- Member	
4.	Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute	- Member.	

[F. No. A-12018/28/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उसका सम्बन्ध उच्च श्रेणी लिपिक/लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट्, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए
नाम			में स्तर	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	जाने वाले
					आयु-सीमा	व्यक्तियों के लिए
						अपेक्षित शैक्षिक
						और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी	09 * (2022)	साधारण	वेतन मैट्रिक्स	अचयन	आयु 18 वर्ष और 27	1.किसी
लिपिक		केन्द्रीय सेवा,	में स्तर-4		वर्ष के बीच।	मान्यताप्राप्त
		समूह 'ग',	(25500-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	विश्वविद्यालय से
	*कार्यभार के	अराजपत्रित	81100 रु)		जारी किए गए अनुदेशों	डिग्री या समतुल्य।
	आधार पर	अनुसचिवीय			या आदेशों के अनुसार	
	परिवर्तन किया				विभागीय अभ्यर्थियों के	2. कम्प्यूटर पर
	जा सकता है				लिए चालीस वर्ष तक	अंग्रेजी में 35 शब्द
					शिथिल की जा सकती	प्रति मिनट या
					है।)	हिंदी में 30 शब्द
						प्रति मिनट की
					टिप्पण :- आयु-सीमा	टंकण गति (प्रत्येक
					अवधारित करने के लिए	शब्दों के लिए 5
					निर्णायक तारीख	की डिप्रेशन के
					कर्मचारी चयन आयोग	औसत पर 10500
					द्वारा नियत की जाएगी।	की डिप्रेशन प्रति
					(जहाँ भर्ती कर्मचारी	घंटा/9000 की
					चयन आयोग के माध्यम	डिप्रेशन प्रति घंटा
					से नहीं की जाती वहाँ	के अनुरुप 35
					आयु-सीमा अवधारित	शब्द प्रति मिनट
					करने के लिए निर्णायक	और 30 शब्द प्रति
					तारीख आवेदन प्राप्त	मिनट)।

		ग	रने के लिए नियत की यी अंतिम तारीख ोगी।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों	(10) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो	(11) प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-
	जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	63200 रु) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
			प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी:
			(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है;
			या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन
			मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की

	हे	ΤΙ
	ज प्र वि प्र	ोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी ो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, तिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार तिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के नेए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
	के सं प प	गितिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत न्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य गठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक हले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद र प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतय ोन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
	अ र्क	तिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए धिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने ो अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से धिक नहीं होगी।
यदि विभागीय प्रोत	त्रति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
		परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश
		किया जाएगा ।
	(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नि	ो के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें नि	ाम्नलिखित लागू नहीं होता।
होंगे:-		
1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण	3	
	ाऔर	
अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु	ा और - अध	यक्ष
अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु 2. उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री	- अध	यक्ष
,,,	- अध	
 उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्ट सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्री 	- अध् य कुष्ठरोग शिक्षण और - सद	
2. उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु	- अध् य कुष्ठरोग शिक्षण और - सद	स्य
उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्री	- अध् य कुष्ठरोग शिक्षण और - सद य कुष्ठरोग शिक्षण और - सदः	स्य
 उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टु 	- अध् य कुष्ठरोग शिक्षण और - सद य कुष्ठरोग शिक्षण और - सदः ा शिक्षण और	स्य स्य स्य।
 उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टु 	- अध् य कुष्ठरोग शिक्षण और य कुष्ठरोग शिक्षण और - सदः ा शिक्षण और - सदः बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	स्य स्य स्य। ा होंगे:-
 उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टु समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम् 	- अध्य कुष्ठरोग शिक्षण और - सद य कुष्ठरोग शिक्षण और - सदः । शिक्षण और - सदः बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित महानिदेशालय - अध्	स्य स्य स्य। ा होंगे:-
 उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्री अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टु समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के सग् उप महानिदेशक (कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा 	- अध्य कुष्ठरोग शिक्षण और - सद य कुष्ठरोग शिक्षण और - सदः । शिक्षण और - सदः बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित महानिदेशालय - अध्	स्य स्य। म् होंगे:- यक्ष

[PART II—SEC. 3(i)]

	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
4.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और		
	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य।	

[फा. सं ए-12018/12/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2022

- **G.S.R. 46.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput, (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Upper Division Clerk/Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification, level in pay matrix. The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of	Number of	Classification	Level in pay matrix	Whether selection
Post	Post			post or non-
				selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper	9* (2022)	General Central Service, Group	Level-4	Non-Selection.
Division		'C' Non-gazetted,	(Rs.25500-81100/-).	
Clerk.	*subject to	Ministerial.		
	variation			
	dependant on			
	workload.			

Age- limit for direct recruits.	Educational	and	other	Whether age and educational Period of	
	qualifications	required	for	qualifications prescribed for probation, if any	

	direct recruits.	direct recruits will apply in the case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission (SSC). (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)	1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. A typing speed of 35 Words Per Minute in English and 30 Words Per Minute in Hindi only on computer. (35 Words Per Minute and 30 Words Per Minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour /9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depression for each word)	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or In case of recruitment by promotion or deputation/ by promotion or by deputation /absorption and absorption grades from which promotion or deputation/ percentage of the vacancies to be filled by various absorption to be made. methods. (11)By Promotion falling which by deputation and failing By Promotion:both by Direct Recruitment.

Lower Division Clerk in the level 2 (Rs.19900-63200/-) in the pay matrix, with eight years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, there senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government, State Government or Union Territories:

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with eight years service rendered after appointment to the post on regular basis in level 2 (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department.

The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for

appointment by promotion.
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.)
The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

If a	Departmental Promotion Committee exists what is its c	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
	(12)		(13)
	up 'C' Departmental Promotion Committee (forsisting of :-	r considering promotion)	Not applicable.
1.	Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Chairman	
2.	Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	-Member	
3.	Assistant Director (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	-Member	
4.	Administrative Officer	- Member.	
Gro conf	up 'C' Departmental Confirmation Comn irmation) consisting of :-	nittee (for considering	
1.	Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services	- Chairman	
2.	Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	-Member	
3.	Assistant Director (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	-Member	
4.	Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member.	

[F. No. A-12018/12/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

सा.का.नि. .47—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उसका संबंध स्वास्थ्य परिचायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में स्वास्थ्य परिचायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, स्वास्थ्य परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वास्थ्य	02* (2022)	साधारण	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के	आवश्यक :
परिचायक		केन्द्रीय सेवा,	में स्तर-5	होता	बीच*।	
		समूह 'ग',	(29200-			
	*कार्यभार के	अराजपत्रित	92300 रु.)			 किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय

Г				. 6	<u> </u>
	आधार पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता
	जा सकता है			मारताय खुला प्रतियोगिता के	
				माध्यम से पद पर	2. स्वास्थ्य परिचायक
				नियुक्ति की जाती है	(छह मास का
				तो आयु-सीमा 18	पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा
				और 27 वर्ष के बीच की जाएगी।	उत्ताणः, या
				का जाएगा।	3. सहायक नर्स
				(केन्द्रीय सरकार	
				ू द्वारा जारी किए	=
				गए अनुदेशों या	
				आदेशों के अनुसार	
				विभागीय	पाठ्यक्रम); और
				अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों	
				की दशा में शिथिल	4. नर्सिंग परिषद् में
				करके 40 वर्ष तक	स्वास्थ्य पारचायक क
				जार जनूतू। पत	रुप में रजिस्ट्रीकृत हो; और
				जातियों और	जार
				अनुसूचित जनजातियों के	5. किसी योग्यताप्राप्त
				जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा	संगठन में स्वास्थ्य
					कार्यकर्ता या स्वास्थ्य परिचायक के रुप में
				वर्ष तक की जा	एक वर्ष का अनुभव।
				सकती है।)	
				टिप्पण 1 : आयु-	
				सीमा अवधारित करने के लिए	
				करन क ।लए निर्णायक तारीख	टिप्पण 1: अर्हताएं
				आवेदन प्राप्त करने	अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
				के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	सक्षम प्राधिकारी के
				होगी न कि वह	विवेकानुसार शिथिल
				अंतिम तारीख जो	की जा सकती है।
				असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	6
				जरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर	टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता
				नागालैंड, त्रिपुरा,	(अर्हताएं) सक्षम
				सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल	प्राधिकारी के
				और स्पीति जिले	
				तथा चम्बा-जिले के	अनुसूचित जनजातियों
				पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान	के अभ्यर्थियों की दशा
				लद्दाख, अदमान और निकोबार द्वीप	में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के
					। याग्या ६ मन मन्या भा

	l	, c .	0.0
		और लक्षद्वीप संघ	किसी प्रक्रम पर सक्षम
		राज्य क्षेत्र के	प्राधिकारी की यह
		अभ्यर्थियों के लिए	राय है की उनके लिए
		विहित की गई है।	आरक्षित रिक्तियों को
			भरने के लिए अपेक्षित
			अनुभव रखने वाले
		टिप्पण 2 : रोजगार	उन समुदायों के
		कार्यालय के माध्यम	
		से की जाने वाली	संख्या में उपलब्ध होने
		भर्ती की दशा में	की संभावना नहीं है।
		आयुसीमा	
		अवधारित करने के	
		लिए निर्णायक	
		तारीख वह अंतिम	
		तारिख होगी जिस	
		तक रोजगार	
		कार्यालय से नाम	
		भेजने के लिए कहा	
		गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं;
			(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
			विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से
	अधिक नहीं होगी।

यदि '	विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
	(12)	(13)
समूह	'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -	लागू नहीं होता।
1.	निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -अध्यक्ष	
2.	उपनिदेशक(मरक-विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य	
3.	सहायक निदेशक (शल्यक), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	
4.	उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी	

[फा. सं. ए-12018/17/2017-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2022

- **G.S.R. 47.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Health Visitor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Health Visitor in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Health Visitor (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	e of the	Number of post	Classification		Whether selection post or non-selection post.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Health			General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Non- Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200 - 92300).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	\mathcal{C}	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years*.	Essential:	Not applicable.	Two years.
*In case appointment to the post is made through all India open Competition the age limit shall be between 18 and 27 years.	1. 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University		
(The upper age limit is relaxable for departmental candidates up	2. passed Diploma in Health Visitor (six month course); or		
to forty years in case of general candidates and up to forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in	3. passed Diploma in Auxiliary Nurses Midwife or Multipurpose Health Worker (eighteen- month course); and		
accordance with the instructions or orders issued by Central Government)	4. should be registered with Nursing Council as a Health Visitor; and		
Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and	5. One year experience as Health Worker or Health Visitor in a reputed organisation.		
not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.		
Union territories of Ladakh,			

Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Tribes if at any stage of selection		
---	-------------------------------------	--	--

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: -
	Officers of the Central government holding, -
	(a)(i) analogous post on regular basis; or
	(ii) post in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent with five years of regular service in the grade;
	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
	Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
	Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a	Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be
		consulted in making
		recruitment.
	(12)	(13)
	oup 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmat sisting of: -	ion) Not applicable.
1.	Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairm	nan
2.	Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Memb	er

3.	Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member	
4.	A Gazetted Officer from other Central Government/ State Government Office in the area	– Member.	

[F. No. A-12018/17/2017-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

- सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को जहां तक उनका संबंध प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की	वर्गीकरण	वेतन		चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने
	संख्या		मैट्रिक्स	में	अथवा	व्यक्तियों के लिए आयु-	वाले व्यक्तियों के लिए
			स्तर		अचयन पद	सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	अन्य अहर्ताएं (7)
प्लम्बर-	01*	साधारण	वेतन		लागू नहीं	18 और 25 वर्ष की आयु	किसी मान्यताप्राप्त
सह-	(2022)	केन्द्रीय सेवा,	मैट्रिक्स	में	होता	के बीच ।	विश्वविद्यालय या बोर्ड से
मैकेनिकल फिटर	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900 63200/ रु.)	-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	10वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। केन्द्रीय सरकार या तमिलनाडू सरकार के राष्ट्रीय व्यावसायिक
	परिवर्तन किया जा सकता है ।					सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	प्रशिक्षण परिषद या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित फिटर ट्रैड परीक्षा पास की हो। सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव
						दिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
						होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

अवधारित करने के लिए
निर्णायक तारीख वह
अंतिम तारीख होगी जिस
तक रोजगार कार्यालय से
नाम भेजने के लिए कहा
गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति:- (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200/-रु.) में सदृश पद धारण किए हुए हो के साथ स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हो। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि 1	विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
	(12)	(13)
समूह होंगे:-	'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	लागू नहीं होता।
1.	अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष	
2.	उप निदेशक (मरक विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	
3.	सहायक निदेशक, (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	

4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।

[फा. सं. ए-12018/31/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th March, 2022

- **G.S.R. 48.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput, (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Plumber-cum-Mechanical Fitter except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plumber-cum-Mechanical Fitter in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Plumber-cum-Mechanical Fitter (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification and level in pay matrix. The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay	Whether selection post or non-
			matrix	selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Plumber-cum-	01*(2022)	General Central	Level – 2 in the pay	Not applicable
Mechanical Fitter.		Service,	matrix	
	*Subject to	Group 'C'	(Rs.19900-63200).	
	variation dependent	Non-Gazetted,		
	on workload.	Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years of age. Relaxable for Government	10th or equivalent examination pass from a recognised university or Board.	Not applicable
servants upto the age of forty	Passed fitter trade examination conducted by	
years in case of general	National Council of Training in Vocational	
candidates and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the	Trades or Industrial Training Institute of Central or Tamil Nadu Government.	
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance	One year experience in the relevant field.	
with the instructions of orders issued by the Central Government.	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	
Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Note 2: The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
Note 2: If the post is to be filled up by Employment Exchange the crucial date for determination of age-limit, in each case, will be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by	In case of recruitment by promotion or
	direct recruitment or by promotion	deputation / absorption grades from which
	or by deputation /absorption and promotion or deputation/ absorpti	
	percentage of the vacancies to be	made.
	filled by various methods.	
(9)	(10)	(11)
Two years.	Direct recruitment failing which	Deputation: -
	by deputation.	Holding analogous posts in the level-2
		(Rs.19900-63200) in the pay matrix with the

qualification and experience mentioned in column (7).
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a l	Departmental Promotion Committee exists, what is its con	Circumstances in which	
			Union Public Service
			Commission is to be
			consulted in making
			recruitment.
	(12)		(13)
Gro	up 'C' Departmental Promotion Committee (for cons	sidering confirmation)	
cons	isting of:	-	Not applicable.
1.	Additional Director, Central Leprosy Teaching and		
	Research Institute, Chengalpattu	- Chairman	
2.	Deputy Director (Epidemiology),		
	Central Leprosy Teaching and		
	Research Institute, Chengalpattu	- Member	
	research institute, Changaipattu	Memeer	
3.	Assistant Director (Laboratory),		
	Central Leprosy Teaching and		
	Research Institute, Chengalpattu	- Member	
4.	Administrative Officer, Central Leprosy Teaching		
	and Research Institute, Chengalpattu	- Member.	

[F. No. A-12018/31/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2001, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980, को जहां तक उसका संबंध संगणक पद से है, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'क' पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'क' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने
१५ भग गाम	, १५ १॥ संख्या	प्रगायर्थ	में स्तर	अथवा अथवा	वाले व्यक्तियों के लिए	वाले व्यक्तियों के लिए
	राउपा		4 (((अचयन	आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और
				पद	ા બાલુ-લામા	अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
()	04*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	18 और 27 वर्ष के	(i)किसी मान्यताप्राप्त
डाटा एंट्री	(2022)	सेवा, समूह 'ग',	में स्तर-4	होता।	बीच ।	बोर्ड से 12वीं की परीक्षा
ऑपरेटर श्रेणी	(2022)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(25500 -			विज्ञान शाखा जिसमें
'ক'		अराजपत्रित,	` 81100/ रु.)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	गणित एक विषय के रुप
	*कार्यभार	अननुसचिवीय	.,		समय-समय पर जारी	रहा हो उतीर्ण की हो।
	के आधार				किए गए अनुदेशों या	
	पर				आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों	(ii) डाटा प्रविष्ट कार्य में
	परिवर्तन				के लिए चालीस वर्ष	कम से कम 8000 कुंजी
	किया जा				की आयु तक और	दाब प्रति घंटे की गति
	सकता है ।				अनुसूचित जाति या	हो।
					अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के	4
					सबाधत अभ्यायया क मामले में पैंतालीस	टिप्पण 1. :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित
					वर्ष की आयु तक	अभ्यार्थियों की दशा में
					सरकारी सेवकों के	उन कारणों के लिए जो
					लिए शिथिल की जा	अभिलिखित किए जाए
					सकती है।)	सक्षम प्राधिकारी के
						विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					टिप्पण 1:- आयु-	ગા તમતા હા
					सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	
					तारीख अभ्यर्थियों से	टिप्पण 2. :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)
					आवेदन प्राप्त करने के	सक्षम प्राधिकारी के
					लिए नियत की गई	विवेकानुसार कारणों को
					अंतिम तारीख होगी	लेखबद्ध करके अनुसूचित
					न कि वह अंतिम	जातियों और अनुसूचित
					तारीख जो असम,	जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	तब शिथिल की जा
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम
					त्रिपुरा, सिक्किम,	प्राधिकारी की यह राय
					हिमाचल प्रदेश के	है कि उनके लिए
					लाहोल और स्पीति	आरक्षित रिक्तियों को
					जिले तथा चम्बा-जिले	भरने के लिए अपेक्षित
					के पांगी उपखंड,	अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों
					लद्दा्ख, अंदमान और	के पर्याप्त संख्या में
					निकोबार द्वीप, या	उपलब्ध होने की
					लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के	सम्भावना नहीं है।
					लिए विहित की गई	
	<u></u>				है।	
L		1	ı	1		

		टिप्पण 2 :- रोजगार	
		कार्यालय के माध्यम	
		से आने वाले	
		अभ्यर्थियों की दशा में	
		आयु-सीमा अवधारित	
		करने के लिए	
		निर्णायक तारीख वह	
		अंतिम तारीख होगी	
		जिस तक रोजगार	
		कार्यालय से नाम	
		भेजने के लिए कहा	
		गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति या प्र	202 .
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। अामेलन द्वारा दशा में वे श्रेणि प्रोन्निति प्रतिनियुक्ति/आने किया जाएगा।	भर्ती की ायां जिनसे या
(8) (9) (10) (11)	
(8) (9) (10) (11) लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधी भर्ती द्वारा लागू नहीं के लिए दो वर्ष। हिट्मण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितयों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी,- (क) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखते हो।	
31.7.37.7.37.611	

यदि '	विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा
	(12)		(13)
समूह	'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए	ए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1.	अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- अध्यक्ष	
2.	उप-निदेशक या सहायक निदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
3.	चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
4.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य।	

[फा. सं ए-12018/44/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 2022

- **G.S.R. 50.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Computor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'A', Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement. -**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Data Entry Operator Grade 'A' (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

		SCHEDULE		
	Number of post		Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1) Data Entry Operator Grade 'A'.	(2) 04 *(2022) *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	(4) Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	(5) Not applicable.
Age-limit for	direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	
	(6)	(7)	(8)	(9)
Relaxable for servants up to years for general and up to the years in case belonging to Castes and Tribes in accommendation in the determining limit shall be to for receipt from candidate closing date those in Ass. Arunachal Pramaipur, Na Sikkim, Lah District and Division of Cof Himachal Funion territor, Andaman and and Lakshadw. Note 2: In recruitment memployment of crucial date for age-limit shall upto which	crucial date for the age- the closing date of applications tes and not the prescribed for am, Meghalaya, adesh, Mizoram, galand, Tripura, aul and Spiti Pangi Sub-Chamba District Pradesh and the ries of Ladakh, Nicobar Islands reep. the case of ade through the	(i)12th class pass in Science stream with Mathematics as a subject from a recognised Board. (ii) should possess a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding Experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of theopinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.

deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment.	Not applicable
Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis form officers of the Central Government,-	
(a) holding analogous posts on regular basis in the level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and	
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	

If a	Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstanc	es in which	
			Union Pub	
			Commission	is to be
			consulted in	making
			recruitment.	
	(12)		(1	3)
Gro	up 'C' Departmental Confirmation Committee ((for considering confirmation)	Not app	olicable.
cons	isting of:-			
(1)	Additional Director, Central Leprosy Teaching and			
	Research Institute, Chengalpattu	– Chairman		
(2)				
(2)	Deputy Director or Assistant Director (Epidemiology)),		
	Central Leprosy Teaching and Research Institute,	Mondon		
	Chengalpattu	- Member		
(3)	Medical Officer, Central Leprosy Teaching and			
(3)	Research Institute, Chengalpattu	– Member		
	Research institute, Chengalpattu	- Member		
(4)	Administrative Officer, Central Leprosy Teaching ar	nd		
(+)	Research Institute, Chengalpattu	– Member.		
	Research Institute, Chengalpattu	Wichioci.		

[F. No. A-12018/44/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक कि उनका संबंध परा-चिकित्सा कार्यकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, में परा-चिकित्सा कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, परा-चिकित्सा कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
नाम			मैट्रिक्स में	या अचयन	वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
			स्तर	पद	आयु-सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परा- चिकित्सा कार्यकर्ता	10* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700- 69100	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच की आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii)किसी मान्यताप्राप्त
	भारपत्तम किया जा सकता है	अननुसचिवीय	₹.)		किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	संस्थान से बहुउद्देशीय

टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. मिजोरम. मणिपुर नागालैंड. त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लहाख, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई

टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती टिप्पण 1:- अईताएं, की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

परिषद में सहायक नर्स या सेविका के रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए;या

- (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम हो; या
- (v) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समतल्य और भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा व्यावसयिक योजना के अधीन सहायक नर्स सेविका पाठ्यक्रम किया हो। वांछनीय:

कुष्ठरोग के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।

अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

			1
सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की
व्यक्तियों के लिए विहित आयु	अवधि, यदि	होगी या प्रोन्नति द्वारा या	दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या
और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत	कोई हो।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
व्यक्तियों की दशा में लागू		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	
होंगी या नहीं।		भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
	(0)		(44)
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो	प्रतिनियुक्ति :केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे
		सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	अधिकारी;
			(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में
			नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए
			है; या
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन
			मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100) या
			समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस
			श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और
			अणा म तान वर्ष का ानयामत सवा का ह; आर
			(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के
			लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव
			रखता हो।
			टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
			अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
			संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
			धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
			प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से
			अधिक नहीं होगी।
			टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए
			अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
			अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे.—	लागू नहीं होता।
1. उप-निदेशक (मरक विज्ञान) - अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक (मरक विज्ञान) - सदस्य	

3.	सहायक निदेशक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	- सदस्य	
4.	प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/51/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 2022

- **G.S.R. 51.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Paramedical Worker, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Para Medical Worker, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement**. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Para Medical Worker (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification	Level in pay matrix	Whether
				selection post or
				non-selection
				post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Para Medical	10 *(2022)	General Central Service, Group	Level- 3 in the pay matrix	Not applicable.
Worker.		'C', Non-Gazetted, Non-	(Rs.21700-69100).	
	*Subject to	Ministerial.		
	variation			
	dependent on			
	workload.			

Age-limit for direct	Educational and other	Whether age and educational	Period of
recruits	qualifications required for direct		probation, if any
	recruits	direct recruits will apply in the	
		case of promotees	
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of		Not applicable	Two years
age.	recognised Board.		
(Relaxable for Government	(ii) Multipurpose Health		
servants up to the age of forty	Worker course from a		
years for general candidates	recognised institute; or		
and up to the age of forty-five	(:::) Contificate of Associtions		
years in case of candidates belonging to the Scheduled	(iii) Certificate of Auxiliary Nurse Midwife from a		
Tribes in accordance with	Council and must have been		
the instructions or orders	registered as Auxiliary Nurse		
issued by Central	or Midwife with recognised		
Government from time to	State Nursing Council; or		
time).			
Note 1. The amen'd day of	(iv) Female Multipurpose		
Note 1: The crucial date for determining the age-	Health Worker Course from a recognised institute; or		
limit shall be the closing date	recognised institute, of		
for receipt of applications	(v) Auxiliary Nurse Midwife		
from candidates and not the	course under 12 th class		
closing date prescribed for	vocational scheme from		
those in Assam, Meghalaya,	recognised Board as per		
Arunachal Pradesh, Mizoram,	syllabus prescribed by the		
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti	Central Board of Secondary		
Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-	Education or its equivalent and Indian Nursing Council.		
Division of Chamba District	indian Tursing Council.		
of Himachal Pradesh and the	Desirable:		
Union territories of Ladakh,			
	Field Experience in leprosy for		
Islands and Lakshadweep.	one year.		
Note 2: In the case of	Note 1: Qualifications are		
recruitment made through the	relaxable at the discretion of		
employment exchange, the crucial date for determining	the competent authority for		
the age limit shall be the last	reasons to be recorded in		
date upto which the	writing in case of candidates otherwise well qualified.		
employment exchange is	other wise wen quantied.		
asked to submit the names.			
	Note 2: The qualifications		
	regarding experience is		
	relaxable at the discretion of		
	competent authority for reasons to be recorded in		
	writing, in case of candidates		
	belonging to the Scheduled		
	Castes and the Scheduled		
	Tribes if at any stage of		
	selection, the competent		
	authority is of the opinion that		
	sufficient number of candidates from these		
	communities possessing the		

T	ı	
requisite experience are not		i
likely to be available to fill up		1
the vacancies reserved for		1
them.		1
		i

Method of recruitment whether by direct case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption recruitment or by promotion or by grade from which promotion or deputation /absorption to be made. deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. (10)(11)By direct recruitment failing which by Deputation: deputation. Officers under the Central Government. -(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment to the post in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. 2: The maximum age-limit for appointment Note on deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Department Promotion Committee exists, what is its o	composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee confirmation) consisting of : -	(for considering	Not applicable.
(1) Deputy Director (Epidemiology)(2) Assistant Director (Epidemiology)	ChairmanMember	
(3) Assistant Director (Microbiology)	- Member	
(4). Administrative Officer	- Member.	

[F. No. A.12018/51/2019-Lep] SHORAN SINGH, Under Secy.